



# DrGenius Academy Welcomes You

Let's Begin Journey Together  
And Achive Dream  
Together

# Dr Surendra Dhiwa

Educator

( Law | Public administration and management )

( Polity and IR | Audit and Accounting )



धारा 180

नगरपालिका ले स्वीय बनाने की अपेक्षा  
करने की राज्य सरकार की शक्ति →

नगरपालिका

↓

Eo

राज्य सरकार

↓

नगरपालिका

↓

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

धारा 181

→ किसी भी परियोजना या स्कीम में व्यावृत्ति  
↓  
(Savings)

धारा 182

→ भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन और  
भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुशासित करने की  
राज्य सरकार की शक्ति →

(ii) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आंशिक है / बेची गई है / मास्ट प्लान में निर्दिष्ट है उसी प्रयोजन हेतु काम में ली जा सकेगी।

(ii) → राज्य सरकार → अनुरा देसकती है (Conversion) की

eg. आवासीय → वाणिज्यिक

वाणिज्यिक → अल्प उपोपन


औद्योगिक → वाणिज्यिक

शिनेमा → वाणिज्यिक

होटल → वाणिज्यिक

पर्यटन → "

संस्थागत → " आरंभ



संपादन शुल्क (conversion charges)

अदा करने के बाद

+  
पक्षियों से आपत्तियाँ (objection) की बुनियाद

अलग-2 क्षेत्रों में अलग-2 होते हैं

शिक्षा, चिकित्सा, धर्म (charitable)

धारा 183 ⇒ सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाईन →



procedure

रुम से कम 1 माह का समय  
देकर नोटिस

आदेश 4 सुनाव

regular line of  
public street

map

183 → सार्वजनिक कार्या के भीतर निर्माण कार्य नहीं

अगर करांट

अर्थ

नगरपालिका नेटि

जुमाना (2000-5000)

कार्ट X

(अनिर्णित)  
निर्णय

←

कलेक्टर

अपील





धारा 184



भूमिगत उपयोगिताओं के लिए पार्क का

अधिकार

अधिकार →

- गैल पारप
- कारर सल्लार
- पैदल सलवे
- भूमिगत मैदो
- सीनर लारन आदि

धारा 185 ⇒ श्रीमंत उपयोगिताओं के नमूने -


कौन जिम्मेदार - मुख्य नगरपालिका अधिकारी (\*)

(\*) सूचना के अधिकार के अंतर्गत गोपनीयता सुरक्षित करना (\*)

धारा 186 ⇒

केंद्रीय या राज्य सरकार से संबंधित मामलों  
के संबंध में विरोध उपबंध →





④ अस्थायी अधिभोग की अनुसूची अतिक्रमण होना ⇒ बिना किसी की अनुसूची के नगरपालिका स्वयं के स्तर पर।

धारा 187 => उसके दौरान मार्गों पर अस्थायी  
परिनिर्माण -

मुख्य नगरपालिका अधिकारी, पीएन के संकेत पर  
निरचित कार्यावधि हेतु खार्च जाति क खात पर  
वृध, पांडात । अस्थायी संरचना के निर्माण हेतु  
लिखित अनुशा उदान कला हूँ

→ मुख्य यातायात पुलिस उपाधी ह  
परामर्श के बाद

**धारा 168** → मार्ग, नाली या परिसर के संनिधि  
 या मरम्मत के दौरान पूर्ववधानियाँ —  
 (Precautions)

**धारा 169** ⇒ बिना अनुसा के किसी मार्ग में न जो काम  
 पया किया जाय। और न ही गड़बे खोदें  
 जायेंगे →

बिना लिखित अनुसा .

अगर अनुना मिल जाए तो उस व्यक्ति को पर्याप्त रूप से खाड़ लगायी होगी तथा घेराबन्दी आवश्यक तथा रात्रि में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था

$$\Rightarrow \text{उत्पन्न} \Rightarrow \text{पुर्जाना} = 1000 - 2000 \text{ रु} \\ + \\ 50 = 100 \text{ रु/दिन}$$

**धारा 190** ⇒ फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध →

नगरपालिका युक्तियुक्त समय के भीतर तथा  
 उपलब्ध संसाधनों के अधीन स्टैंडेंस दूर,  
 खार्जितिक मार्गों पर फुटपाथ सुनिश्चित करें।

न्यूनतम चौड़ाई = डेढ़ मीटर

Review → भवन अनुसंधान व संकल्प क्षमता द्वारा  
 (पुरीक्षण)



धारा 191 → भागों के कोनों पर भवन →



दो भागों के कोनों पर बनते वाले भवन की  
ऊँचाई + गोलार्ध / धुमावदार

+

कुछ भाग को अर्पित कर सकती है

यदि Compensation

धारा 192

↓.

बहिर्गत भवनों को जीछे करना  
(projecting buildings)



















# THANK YOU

For Join Our Session



 +91-9636280355

[www.drgenius.academy.com](http://www.drgenius.academy.com)

